

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बर्सा

बनाम

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

15-2-18

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उपस्थित
मुखवाक के साथ पत्रावली दिनांक 15-2-18
की पेश की।

Smad
1.2.18

15-2-18 पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा
कन्डोनेस/कार्य रद्दगित करने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा
सकी। पत्रावली दिनांक 15-3-18
को पेश हो।

15-3-18

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उपस्थित।
प्रार्थनापत्र पर वकील पत्रकार को सुना
गया। प्रार्थनापत्र पर वाद के निर्णय
तक कन्फर्म किया जा चुका है। विवादित
भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना
उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थना
या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से रुम हो।

Smad
15.3.18